न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 260/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
बरसिंगा पुत्र रामूराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम पल्ली तहसील ओसियां जिला जोधपुर		1– जोधाराम पुत्र फगलुराम 2– फगलुराम पुत्र मंगलाराम (फोत) 3– माना पुत्र रामूराम 4– गुलाबा पुत्र रामूराम (फोत) जातियान विश्नोई निवासीगण ग्राम पल्ली तहसील ओसियां, जिला जोधपुर 5– सरपंच ग्राम पंचायत पल्ली, तहसील ओसियां जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 23–6–2016 जो उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ओसियां द्वारा राजस्व अपील संख्या 5/2011 अनवान बरसींगाराम बनाम जोधाराम वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री रोशन लाल अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से ।
2– श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 सं 1 की ओर से ।
3– रेस्पो0 संख्या 3 व 5 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 18–7–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष ग्राम पली के नामांतरकरण संख्या 72 स्वीकृति दिनांक 8–7–60 के विरूद्ध वर्ष 2011 मे लगभग 51 वर्ष के विलंब से प्रथम अपील इस आशय की पेश की कि उक्त नामांतरकरण मे वर्णित भूमि के सहखातेदार नरसींगा, माना, गुलाबा ने अपने हिस्से की भूमि मे से आधी भूमि का कोई बेचान वर्तमान अपीलांट जोधाराम पुत्र फगलूराम को नही किया था और न ही उक्त भूमि के बदले कोई प्रतिफल की राशि प्राप्त की और न ही उक्त भूमि का कब्जा सुपुर्द किया था इसलिए बेचान के आधार पर स्वीकृत उक्त नामांतरकरण संख्या 72 दिनांक 8–7–60 को निरस्त कर अपीलाधीन भूमि के राजस्व रेकर्ड मे पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने का निवेदन किया । जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली को लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र पली मे रखते हुए अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन करते हुए अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज करने बाबत अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23–6–16 को पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे पत्रावली मे नियमित कार्यवाही के चलते पेशियां सीलनुमा आदेशिकाएं दिनांक 2–7–14 से 3–2–16 तक इल्तवा होती रही, दिनांक 3–2–16 की आदेशिका मे मूल नामांतरकरण तलबी का आदेश दिया जाकर पत्रावली 25–2–16 को मुकर्रर की तथा दिनांक 25–2–16 को सीलनुमा आदेशिका से दिनांक 18–5–16 पेशी दी जिस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नही है और दिनांक 18–5–16 की आदेशिका ड्रॉ किये बिना ही सीधे पत्रावली दिनांक 23–6–16 को लोक अदालत/केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र पली मे रखते हुए पत्रावली का अवलोकन करते हुए अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

अपीलांट अधिवक्ता का कथन है कि पत्रावली को लोक अदालत केम्प कोर्ट पली मे रखने बाबत पत्रावली की आदेशिका मे कोई उल्लेख नही है और न अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे पक्षकारो को पत्रावली लोक अदालत केम्प मे रखने की सूचना बाबत कोई नोटिस ही उपलब्ध है, ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे देरीना प्रस्तुत अपील के संबंध मे अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा कथन किया कि यदि म्युटेशन गलत आधार पर स्वीकृत कर दिया गया था तो वह प्रारंभ से ही शून्य आदेश की श्रेणी का है तथा ऐसे शून्य आदेशो के विरूद्ध अपील पेश करने मे मयाद का बिन्दु गोण हो जाता है । इसके अलावा यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय को मयाद के बिन्दु को तय करने से पूर्व अपीलांट को सुनना आवश्यक था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पक्षकारो को सुने ही अपीलांट की अपील को खारीज करने मे विधिक त्रुटि की है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23–6–16 को निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अपीलांट अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन जो वर्ष 1960 मे स्वीकृत हुआ था उसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे प्रथम अपील लगभग 51 वर्ष के विलंब से पेश की गई थी तथा यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे

हमारी ओर से धारा 5 मयाद अधिनियम का जवाब भी पेश हुआ, जिनका अध्ययन कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपील का निर्णय मयाद के बिन्दु पर ही कर दिया, जो सही है ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने यह भी कथन किया कि अपीलांट का इस न्यायालय मे यह कथन कि हमे अधीनस्थ न्यायालय मे सुना नही गया तो यह अपीलांट कोर्ट मयाद के बिन्दु पर अपीलांट का सुनकर भी निर्णय पारित कर सकते है । वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि 100/–रूपये से कम कीमत के अनरजिस्टर्ड सेल के आधार पर स्वीकृत हुए म्युटेशन को लगभग 50 वर्ष बाद अपील के जरिये चुनोती देकर राईट प्राप्त नही किये जा सकते है इसके लिए अपीलांट को नियमित वाद सक्षम न्यायालय मे पेश करना होगा । वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने यह भी कथन किया कि म्युटेशन अपील मे मेरिट तय करने से पूर्व लिमिटेशन का बिन्दु पहले तय करना अनिवार्य है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अपील जो 50 वर्ष की देरी से अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत की थी, जिसे मयाद के बिन्दु पर खारीज करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की यह अपील खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 72 दिनांक 8–7–1960 तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय का भी अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील मे अपीलांट अधिवक्ता का मुख्य कथन है कि मयाद के बिन्दु पर अपील खारीज करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया । इस संबंध मे इस अपीलीय न्यायालय मे अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की हुई है तथा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं को मयाद के बिन्दु पर सुनने तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र तथा रेस्पो0गण की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब आदि का अध्ययन करने से यह प्रकट है कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 72 जो अन रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर दिनांक 8–7–60 को सरपंच ग्राम पंचायत पल्ली द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसके विरूद्ध वर्ष 2011 मे म्युटेशन अपील अधीनस्थ न्यायालय मे लगभग 51 वर्ष के विलंब से प्रस्तुत हुई तथा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे ऐसा कोई ठोस एवं संतोषप्रद कारण का उल्लेख नही किया गया है, जिसके आधार पर इतने असाधारण विलंब से प्रस्तुत अपील को अंदर मयाद किया जा सके ।

वकील रेस्पो0 का यह तर्क भी सही है कि अपील को मेरिट पर निर्णित करने से पूर्व लिमिटेशन के बिन्दु को पहले तय करना आवश्यक है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के

प्रार्थना पत्र के जवाब आदि का अवलोकन एवं अध्ययन कर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह समर्थन योग्य होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही होगा ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23–6–16 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 18–7–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर